



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265686
CG-DL-E-26082025-265686

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3770]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947

No. 3770]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 3875(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4720 तारीख 29/10/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में ग्रीनफील्ड हाईवे के कि.मी. 0 से कि.मी. 22 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23.11.2024 " को "हिंदुस्तान" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में ग्रीनफील्ड हाईवे के कि.मी. 0 से कि.मी.22 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: चन्दौली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चन्दौली					
गांव का नाम: गोबर्धनपुर					
1	10	निजी	कृषि	0.0579	झूरी/जदुबीर, रामदुलारी देवी पति बैजनाथ, सीताराम यादव पिता बैजनाथ, लुटावन/ झूरी, बेचन/हेमराज, मीरा देवी/ राधेश्याम, कन्हैया/ रामदेव, श्यामलाल/ रामदेव, गुलाब/ रामदेव, शंकर/ हेमराज, बच्चऊ/ हेमराज, सिरी/ विष्णु, रामबृक्ष/ विष्णु, रमेश कुमार/ लक्ष्मण यादव, राकेश/ लक्ष्मण यादव, विजय कुमार/ लक्ष्मण यादव 10
Total				0.0579	

[फा. सं. 11015/5/PDVaranasi/Bharatmala/2021-22/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 3875(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4720 Dated:29/10/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter

referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Greenfield Highway in the stretch of land from Km. 0 to Km. 22 in the district of CHANDAULI in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Hindustan*” and “*Times of India*” both dated 23.11.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Greenfield Highway in the stretch of land from Km. 0 to Km. 22 in the district of CHANDAULI in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: CHANDAULI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Chandauli					
Village: Gobardhanpur					
1	10	Private	Agriculture	0.0579	Jhuri / Jadubir ,Ramdulari Devi W/o Baijnath,Sitaram Yadav S/o Baijnath,Lutawan / Jhuri , Bacchann / Hemraj ,Mira Devi / Radheshyam,Kanhaiya / Ramdev , Shyamlal / Ramdev , Gulab / Ramdev , Sankar / Hemraj,Bacchau / Hemraj , Siri / Visnu ,Rambrikash / Visnu , Ramesh Kumar / Laxman Yadav , Rakesh / Laxman Yadav , Vijay Kumar/ Laxman Yadav 10
Total				0.0579	

[F. No. 11015/5/PDVaranasi/Bharatmala/2021-22/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director